

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सिंचाई प्रकरण संख्या 02/2016(GCMS No. : 2019/00059)

निशान सिंह पुत्र गुरलाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 30 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर
2. गुरमोहन सिंह पुत्र जगवीर सिंह जटसिख निवासी चक 73 एलएनपी द्वितीय तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. प्रजिन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह,
4. ऊषा पत्नी उदय राम
5. शकुंतला पत्नी हेमराज निवासीयान चक 73 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर



10.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को बार-बार आवज़ लगाई गई, परन्तु वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

गत पेशी पर भी पक्षकारों को रूक रूक कर आवाज़ लगाई गई पर कोई उपस्थित नहीं हुआ था। चूंकि उभयपक्षकारों को बार-बार आवाज़ लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए हैं और ना ही काफी समय से वे स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित आ रहा है। पत्रावली 08.02.2019 से एडमिशन के बिन्दु पर बहस हेतु चली आ रही है, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान् को उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जात है। आदेश की प्रति अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर